राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः एफ.4(2)पंरावि/सशक्त/हस्ता.वि./पार्ट–I/2010/80 जयपुर,दिनांकः 9-12-2011

–:: आदेश ::–

संविधान के 73वें संशोधन की मूल भावना के अनुरूप 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से जुड़ी गतिविधियों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने के क्रम में प्रथम चरण में प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तर तक की निधिया, गतिविधियां एवं स्टाफ को पूर्ण कटिबद्धता के साथ प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के संदर्भ में विस्तृत आदेश मुख्य सचिव के आदेश दिनांक 02.10.2010 द्वारा जारी किये गये है।

उक्त आदेशों के क्रम में हस्तान्तरित स्टाफ पर प्रभावी नियत्रंण की दृष्टि से विभागीय आदेश दिनांक 02.10.2010 (पत्र संख्या–2) जारी किये जाकर यह स्पष्ट किया गया है कि जो स्टाफ विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार हस्तान्तरित किया जा रहा है उन्हें उनका पैतृक विभाग सीधे कोई निर्देश/आदेश प्रसारित नहीं करेगा। संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/सचिवालय स्तर के अधिकारी जो भी आदेश/निर्देश हस्तान्तरित गतिविधियों के संदर्भ में प्रसारित करेंगे वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/विकास अधिकारी, पंचायत समिति को ही संबोधित करेंगे एवं अपेक्षित सूचना/रिपोर्ट के लिये भी इन्हीं से पत्राचार करेंगे। इसी के साथ–साथ यह भी स्पष्ट किया गया था कि हस्तान्तरित किये जाने वाला स्टाफ हस्तान्तरण के पश्चात् संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के निर्देशानुसार कार्य करेगा और उनका पैतृक विभाग उन्हें सीधे कोई निर्देश/आदेश नहीं देगा। इसी बिन्दु में विस्तार से निष्पादित की जाने वाली कार्यवाही के साथ–साथ पदस्थिति संवर्ग नियंत्रण अधिकारी, नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्यवाही, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अवकाश दौरे उपस्थिति आदि की स्वीकृति बाबत भी स्पष्ट निर्देश उल्लेखित किये गये है।

यह ध्यान में लाया गया है कि स्पष्ट आदेशों के उपरान्त भी हस्तान्तरित विभागों के राज्य स्तरीय अधिकारी, विभागाध्यक्ष, संभाग स्तर के अधिकारी अभी भी हस्तान्तरित अधिकारियों से सीधा पत्राचार कर रहे है, समीक्षा बैठकों के लिये उन्हें सीधे निर्देश देते हुए उन्हें बुला रहे है एवं अपेक्षित सूचनाऐं सीधी प्राप्त कर रहे है। यह कृत्य जारी आदेशों के विपरीत है एवं अनुचित है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि हस्तान्तरित विभागों के सचिवालय स्तर के अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष किसी भी सूरत में हस्तान्तरित अधिकारियों से भविष्य में सीधा पत्राचार नहीं करेंगे। विभागीय गतिविधियों की समीक्षा हेतु भी अधिकारियों को आमंत्रित करने के लिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/विकास अधिकारी, पंचायत समिति से ही पत्राचार करेंगे, इसी प्रकार अपेक्षित सूचना का आदान–प्रदान भी उन्हीं के माध्यम से सुनिश्चित किया जावेगा।

संबंधित प्रमुख शासन सचिव इस संदर्भ में स्पष्ट निर्देश विभागाध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों को प्रसारित करें एवं उक्त आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।

(एस. अहमद)
मुख्य सचिव

D:\29 SUBJECTS1\ChawlaPA\Letter_New.doc

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
6. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, कृषि विभाग
7. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग
8. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
9. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
16. आयुक्त, कृषि विभाग
17. आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
18. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
19. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
20. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
21. संभागीय आयुक्त, समस्त।
22. जिला कलक्टर, समस्त।
23. प्रमुख जिला परिषद, समस्त।
24. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेशों से समस्त संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों, प्रधान/विकास अधिकारियों को अवगत कराते हुए पालना सुनिश्चित करें।
25. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
26. आदेश पत्रावली।

शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायती राज

D:\29 SUBJECTS1\ChawlaPA\Letter_New.doc